

राजस्थान सरकार
पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर

क्रमांक:-प.स्वा.के./जयपुर/लेखा/2025-26/10047

दिनांक:- 16.02.26

खुली निविदा सूचना
(बिड संख्या-01)

पर्यटन विभाग, जयपुर द्वारा पंच गौरव आमेर) के अन्तर्गत चिन्हित पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार साहित्य (Publicity Literature) मल्टीकलर पोस्टर इत्यादि के लैमिनेशन (framing) के कार्य के लिए दो बिड प्रक्रिया (तकनीकी और वित्तीय) के तहत खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक प्रतिष्ठित योग्य और अनुभवी बिडर्स को आमंत्रित किया जाता है। कार्य प्राप्त तकनीकी (नमूने सहित) और वित्तीय बिड के आधार पर दिया जायेगा। अतः जो भी इच्छुक प्रतिष्ठित योग्य और अनुभवी बिडर्स अपनी दरे प्रस्तुत करना चाहे व दिनांक 23.02.26 तक प्रातः 10.00 बजे तक क्रय कर बंद लिफाफे में इस कार्यालय में उसी दिन प्रातः 11.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत निविदायें उसी दिन दोपहर 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उपनिदेशक कक्ष में गठित कमेटी द्वारा खोली जावेगी। जो फर्म तकनीकी रूप से सफल होगी उन्ही की वित्तीय बिड कमेटी द्वारा खोली जाकर निर्णय लिया जावेगा। निविदा का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	निविदा आमंत्रण हेतु सामग्री विवरण	अनुमानित संख्या	कार्य की अनुमानित लागत	वित्तीय लागत
01	पोस्टर लैमिनेशन कार्य Poster lamination and framing work Size "19x28"	1250 (250 नग x 5 प्रकार)	4.00 लाख	

बिड फॉर्म को www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरी हुई बिड को बिड दस्तावेज शुल्क रु. 200/- तथा बिड सुरक्षा राशि (अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत) रु 8,000/- DEPUTY DIRECTOR TOURISM, Jaipur के नाम से दो अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाकर प्रस्तुत करना होगा। चयनित फर्म को कार्यादेश के अनुसार कार्य संचालन राशि के रूप में 5 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी।

उप निदेशक
पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर

दिनांक:-

क्रमांक:-प.स्वा.के./जयपुर/लेखा/2025-26/
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित है:-

01. श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर।
02. कार्यालय नोटिस बोर्ड

उप निदेशक
पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर

नियम और शर्तें (Terms and Conditions)

(NIB NO. 1)

1. किसी सरकारी विभाग में प्रिंटिंग डिजाइनिंग प्रचार प्रसार क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। गत वर्षों में किये कार्यों के 03 वर्षों का संतोषजनक प्रमाण पत्र के साथ सलग्न करने होंगे।
2. बिड ऑफर अलग-अलग लिफाफों में जमा किए जाएंगे, जिनमें तकनीकी और वित्तीय बिड शामिल होंगी। बिड दस्तावेज़ शुल्क (₹ 200/-) और, बिड सुरक्षा (कार्य की अनुमानित लागत का 2%) का डिमांड ड्राफ्ट से जमा करना होगा।
3. सफल बिड को कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा (performance security) कुल मूल्य का 5% जमा करना होगा। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। जमा की गई बिड सुरक्षा को नियमों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। निष्पादन सुरक्षा को नियमों के अनुसार वापस कर दिया जाएगा।
4. तकनीकी बिड के साथ कार्य का सैंपल भी समिति द्वारा देखा जायेगा।
5. जिन बिडर्स की बिड तकनीकी बिड में योग्य पाई जाएगी, उनकी वित्तीय बिड खोली जाएगी।
6. उद्धृत दरों (quoted rates) में लागू करों और लागत तथा घटकों को जोड़कर सभी चीजें शामिल होंगी।
7. फर्मों को डिजाइनिंग और मुद्रण की मदों के लिए दर उद्धृत करनी होगी। बिड का निर्णय मद-वार एल 1 बिडर के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद यह अगले वित्तीय वर्ष तक वैध रहेगा।
8. करों का भुगतान नियमों के अनुसार किया जाएगा।
9. खरीद की मात्रा (quantity of procurement) प्राप्त दरों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
10. कार्यक्षेत्र में सभी मुद्रण मदों के डिजाइनिंग या उसके पूरे/कुछ हिस्से को शामिल किया गया है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। फर्म को विभाग के अधिकारियों के आदेश पर डिजाइन में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।
11. आयकर और जीएसटी के लिए टीडीएस (TDS) काटा जाएगा, जिसका भुगतान सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा। बिडर को विभाग को पैन नंबर प्रदान करना होगा।
12. दिए गए कार्य आदेश के लिए अग्रिम भुगतान (Advance payment) सफल बिडर को नहीं किया जाएगा। मुद्रित सामग्री की डिलीवरी पर्यटक स्वागत केंद्र जयपुर में की जाएगी। विभाग द्वारा मुद्रित सामग्री/जारी किए गए कार्य आदेश के नमूने के अनुमोदन के बाद, दस दिन के भीतर डिलीवरी करनी होगी।
13. सभी मुद्रित सामग्री का रचनात्मक उत्पादन पर्यटन विभाग की संपत्ति होगी। फर्म को विभाग को सॉफ्ट कॉपी भी प्रदान करनी होगी।
14. चयनित फर्म को ₹500/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर करार प्रस्तुत करना होगा। स्टाम्प पेपर राजस्थान में खरीदा हुआ होना चाहिए।
15. भुगतान (Payment): भुगतान सफल डिलीवरी और कार्य आदेश और समझौते के लिए गठित गुणवत्ता प्रमाणपत्रों के सफल जारी होने के बाद किया जाएगा।
16. फर्म को फंड ट्रांसफर के लिए बैंक विवरण प्रस्तुत करना होगा।
17. पर्यटन विभाग के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बिड प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. जहां भी विशिष्ट नियम और शर्तें बिड दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नहीं की गई हैं, वहां राजस्थान राज्य सरकार के सामान्य वित्त नियम (General Finance Accounts Rules) और आरटीपीपी अधिनियम (RTPP Act), 2012, आरटीपीपी नियम (RTPP Rules), 2012 के नियम इस वर्तमान बिड पर लागू होंगे।
19. बिडर द्वारा बिड जमा करने में अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांगे जाने में देरी को पर्यटन विभाग द्वारा अस्वीकृति का कारण माना जा सकता है।

20. यदि इस बिड के जवाब में, बिडर कोई ऐसा दावा करता है जो सत्य या सामग्री अभ्यावेदन के तथ्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो बिड अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।
21. आरटीपीपी अधिनियम 2012 और आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 73(2) के अनुसार, कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद मूल अनुबंध लागत पर दोहराए गए आदेश (Repeat order) दिए जा सकते हैं।
22. निष्पादन सुरक्षा (PERFORMANCE SECURITY)
- निष्पादन सुरक्षा पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर सफल बिडर द्वारा जमा किए जाने वाले कुल कार्य मूल्य का 5 % होगी।
 - अनुबंध के संतोषजनक समापन के बाद, पर्यटन विभाग अपने हिस्से पर यह सुनिश्चित करेगा कि निष्पादन सुरक्षा नियमों के अनुसार वापस कर दी जाए।
23. अनुमोदित बिडर को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी प्रावधान, शर्तों, विनिर्देशों आदि की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी, यदि उसे अनुबंध के किसी भी हिस्से या उसकी व्याख्या के बारे में कोई संदेह है, तो उसे हस्ताक्षर करने से पहले अधिकारियों से संपर्क करना होगा और स्पष्टीकरण प्राप्त करना होगा।
24. बिड सुरक्षा की वापसी (REFUND OF BID SECURITY)
- सफल बिडर द्वारा बिड की अंतिम स्वीकृति और कार्य आदेश/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद बिड सुरक्षा वापस कर दी जाएगी।
25. बिड सुरक्षा की जब्ती (FORFEITURE OF BID SECURITY)
- निम्नलिखित मामलों में बिड सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी:
- जब बिडर बिड खोलने के बाद अपनी बिड वापस लेता है या संशोधित करता है।
 - जब बिडर निर्धारित समय के भीतर समझौते को निष्पादित नहीं करता है, यदि आपूर्ति/कार्य आदेश दिया जाता है।
 - जब बिडर निर्धारित समय के भीतर माल की आपूर्ति करने या सेवाएं प्रदान करने या कार्य आदेश के अनुसार कार्य निष्पादित करने में विफल रहता है।
 - जब बिडर निर्धारित समय के भीतर निष्पादन सुरक्षा जमा करने में विफल रहता है जिसके बाद कार्य आदेश दिया जाता है।
 - यदि बिडर आरटीपीपी अधिनियम की धारा 11 और अध्याय VI तथा इन नियमों में बिडर्स के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता (code of integrity) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।
26. निष्पादन सुरक्षा की जब्ती (FORFEITURE OF PERFORMANCE SECURITY)
- निष्पादन सुरक्षा निम्नलिखित मामलों में जब्त कर ली जाएगी:
- बिडर की ओर से निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक ढंग से पूरी आपूर्ति करने में विफलता या चूक होने पर। खरीद करने वाली इकाई बिना किसी पूर्वाग्रह के, अपने अन्य अधिकारों और उपायों के, ऐसे चूक के लिए बिडर की ओर से निष्पादन सुरक्षा को जब्त करने के लिए हकदार होगी।
 - यदि बिडर आरटीपीपी अधिनियम की धारा 11 और इन बिडिंग दस्तावेजों के अध्याय VI में बिडर्स के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। बिडर निष्पादन सुरक्षा की जब्ती के लिए उत्तरदायी होगा।
 - यदि खरीद करने वाली इकाई के निर्णय में, बिडर का किसी ऐसे देश के साथ स्वामित्व है जिसकी भूमि सीमा भारत के साथ लगती है जैसा कि आरटीपीपी नियम 13 और राजस्थान सरकार के आदेशों द्वारा शासित है कार्यवाही उस सक्षम प्राधिकारी को समयबद्ध रूप से सूचित की जाएगी, जो केवल सक्षम प्राधिकारी के साथ पूर्व पंजीकरण के बाद ही किसी भी सार्वजनिक खरीद में भाग लेने की अनुमति दे सकता है, जिसने शर्तों का अनुपालन किया हो।
 - यदि प्रदर्शन सुरक्षा की जब्ती और खरीद करने वाली इकाई के निर्णय के मामले में कार्यवाही असफल होती है तो इसकी सूचना दी जाएगी।

27. विलंब दंड (PENALTY CLAUSE):

- माल और सेवाओं की डिलीवरी में किसी भी देरी के लिए, जहाँ कहीं भी लागू हो, RTTP, GF & AR के प्रावधान लागू होंगे। ठेके के प्रदर्शन के तहत काम के लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा।

28. वैधता (VALIDITY):

- बोली वित्तीय बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

29. निरीक्षण (INSPECTION):

- a. पर्यटन विभाग का विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि उचित समय पर आपूर्तिकर्ता के परिसर में प्रवेश करने और सभी समय पर माल और कारीगरी का निरीक्षण और जांच करने, उपकरणों/उपकरणों/मशीनरी/सफल बोलीदाता के सामान की जांच करने का अधिकार रखेगा।
- b. सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी होने से पहले उत्पादन शुरू करने के नमूने के रूप में 1-1 नमूने भी प्रस्तुत करने होंगे। इन नमूनों पर संतुष्टि के बाद ही, सफल बोलीदाता को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।
- c. बोलीदाता को अपने कार्यालय/कार्यशाला/स्टूडियो का पूरा पता प्रस्तुत करना होगा जहाँ माल का निर्माण किया गया है।

30. प्रतिनिधित्व और वारंटी (REPRESENTATION & WARRANTIES):

बोलीदाता इसके द्वारा ग्राहक को प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि:

- a. इस समझौते में प्रवेश करके, वह किसी भी दायित्व का उल्लंघन नहीं करता है, जिसके तहत उसने कोई अन्य अनुबंध किया हो।
- b. उसके खिलाफ दिवाला या दिवालियापन, या परिसमापन की कार्यवाही के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है।
- c. वह इस समझौते में प्रवेश करने के लिए सक्षम है।
- d. वह इस समझौते के तहत अपने अधिकारों/दायित्वों को किसी को सौंपेगा नहीं।

31. क्षतिपूर्ति (INDEMNITY):

- a. ठेकेदार पर्यटन विभाग को किसी भी हानि या लागत, शुल्क और व्यय के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और उसे हानिरहित रखेगा, जो पर्यटन विभाग को बोलीदाता के इस समझौते के प्रावधानों के विपरीत किसी भी कार्य करने के परिणामस्वरूप उठाना पड़ा हो या सहना पड़ा हो।
- b. पर्यटन विभाग किसी भी देयता, हानि, दावे या कानूनी कार्यवाई के तहत कार्यवाही या किसी भी कानून या सामान्य कानून के तहत या पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित और अधिकृत डिजाइन/उत्पादन/प्रकाशन सामग्री के परिणाम के रूप में बोलीदाता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

32. अनुबंध की समाप्ति (TERMINATION OF CONTRACT):

- पर्यटन विभाग एक महीने के नोटिस द्वारा अनुबंध को समाप्त कर सकता है। नोटिस अवधि के दौरान बोलीदाता अनुबंध से बंधा रहेगा और विभाग को अपना पद त्यागने और सेवा की भावना में सहयोग करेगा।

33. अधिकार क्षेत्र (JURISDICTION):

- सभी कानूनी कार्यवाहियां, यदि आवश्यक हों, तो केवल कोटा, राजस्थान में स्थित न्यायालयों में दायर की जाएंगी और अन्य न्यायालयों को अपवर्जित माना जाएगा। यह समझौता जयपुर में किया गया माना जाएगा।

34. प्रथम अपीलीय अधिकारी RTTP अधिनियम 2013 और नियमों के तहत प्रमुख सचिव पर्यटन और द्वितीय अपीलीय अधिकारी वित्त विभाग राजस्थान सरकार होंगे।

35. गैर-विशिष्ट (NON-EXCLUSIVE):

- यह समझौता इस अनुबंध की अवधि के दौरान या अन्यथा एजेंसी को पर्यटन विभाग की अनन्य (Exclusive) एजेंसी के रूप में स्थापित नहीं करता है।

36. नोटिस (NOTICE):

- इस समझौते के तहत दिया गया कोई भी नोटिस पत्र या फैक्स द्वारा व्यवसाय के सामान्य या अंतिम ज्ञात स्थान पर भेजा जाएगा और यह माना जाएगा कि प्राप्तकर्ता को सामान्य डाक के दौरान या पत्र या फैक्स के मामले में तुरंत प्राप्त हो गया है।

37. संपूर्ण समझौता (ENTIRE AGREEMENT):

- यह समझौता इसके तहत विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण समझौता है, और इसे केवल पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित दस्तावेज में ही संशोधित या कवर किया जा सकता है। हालांकि, इस समझौते के तहत कवर नहीं किए गए मुद्दों और बिंदुओं के लिए, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय और लेखा नियम (GF&AR) और RTPP अधिनियम और नियम लागू होंगे।

38. छूट (WAIVER):

- किसी भी उल्लंघन की कोई छूट या किसी भी प्रावधान की कोई छूट तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह लिखित में न हो और पार्टी के किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित न हो जिसके खिलाफ ऐसी छूट लागू की जानी है। यदि ऐसी छूट अवैध या अन्यायपूर्ण अप्रवर्तनीय हो, तो ऐसा प्रावधान अलग कर दिया जाएगा, और शेष समझौता पूर्ण बल और प्रभाव में रहेगा।

39. संशोधन (MODIFICATION):

- इस समझौते को पूरा करने और स्टाम्प लगाने का खर्च एजेंसी और पर्यटन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जो मूल स्टाम्प वाले समझौते के साथ शुल्क-मुक्त प्रस्तुत किया जाएगा।
- इस समझौते में कोई भी संशोधन पार्टियों की आपसी सहमति से लिखित रूप में किया जाएगा।

मुहर सहित बोलीदाता के हस्ताक्षर
(Signature of bidder with seal)

घोषणा:

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने बोली दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

मुहर सहित बोलीदाता के हस्ताक्षर
(Signature of bidder with seal)